



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062022-236645
CG-DL-E-16062022-236645

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2644]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2022/ज्येष्ठ 26, 1944

No. 2644]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2022/JYAISHTHA 26, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2022

आयकर

का.आ. 2777(अ).—केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात आयकर अधिनियम कहा गया है) की धारा 80ठक की उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 197क की उपधारा (1च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट करती है कि एक व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात पट्टेदार के रूप में कहा गया है) द्वारा यथास्थिति, पट्टा किराया या पूरक पट्टा किराया की प्रकृति में किसी व्यक्ति को जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (जिसे इसमें इसके पश्चात पट्टा दाता कहा गया है) में स्थित एक ईकाई के रूप में है, को विमान पट्टे में देने के लिए किए गए भुगतान पर निम्नलिखित के अधीन आयकर अधिनियम 194इ के अधीन कोई भी कर कटौती नहीं की जाएगी:

(क) पट्टादाता निम्न करेगा-

- (i) पट्टेदार को पिछले वर्षों का विवरण जो दस क्रमानुगत निर्धारण वर्षों से संगत है, जिसके लिए पट्टादाता आयकर अधिनियम की धारा 80ठक की धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1क) के अधीन कटौती का दावा का विकल्प लेता है, प्ररूप सं. 1 में भरकर कथन सह घोषणा प्रस्तुत करेगा; और
- (ii) ऐसे कथन सह घोषणा, दस क्रमानुगत निर्धारण वर्षों से संगत प्रत्येक विगत वर्ष के लिए जिसके लिए पट्टादाता आयकर अधिनियम की धारा 80ठक की धारा 2 के साथ पठित उपधारा (1क) के अधीन कटौती का दावा का विकल्प लेता है, प्ररूप सं. 1 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रस्तुत एवं सत्यापित किया जाएगा।

(ख) पट्टेदार निम्न करेगा-

- (i) पट्टादाता से प्ररूप सं. 1 में कथन सह घोषणा की प्राप्त प्रति के प्राप्ति तारीख के पश्चात पट्टादाता को किए गए भुगतान या क्रेडिट पर कोई कर कटौती नहीं करेगा; और
- (ii) पट्टादाता को किए गए सभी भुगतानों की विशिष्टियां भी प्रस्तुत करेगा जिसमें इस अधिसूचना के दृष्टिगत कर कटौती के विवरण, जो आयकर अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3), आयकर नियम, 1962 के नियम संख्या 31क के साथ पठित है, से निर्दिष्ट है।

2. उपरोक्त छूट पट्टादाता को उक्त पिछले दस निर्धारण वर्षों से संगत वर्षों के दौरान उपलब्ध होगी जैसे पट्टादाता ने प्ररूप सं. 1 में घोषणा की है जिसके लिए धारा 80ठक के अधीन कटौती का विकल्प चुना जा रहा है। पट्टेदार किसी अन्य वर्ष के लिए पट्टा किराया के भुगतान पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी होगा।

3. प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली), यथास्थिति डाटा को सुरक्षित रूप से कैप्चर करने और प्रसारित करने और दस्तावेजों को अपलोड करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों को अधिकथित करेगा और प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) उपयुक्त सुरक्षा अभिलेखीय एवं पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित एवं कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए -

(क) 'विमान' का अर्थ वही होगा जो इसे आयकर अधिनियम की धारा 10 के खण्ड 4च के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किया गया है;

(ख) 'अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र' का वही अर्थ होगा जो इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खण्ड थ में निर्दिष्ट किया गया है; और

ग. 'इकाई' का अर्थ वही होगा जैसा इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खण्ड (यग) में निर्दिष्ट किया गया है।

4. यह अधिसूचना तारीख 01.07.2022 से प्रभावी होगी।

प्ररूप सं. 1

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थित विमान को पट्टे पर देने के व्यापार में नियोजित इकाई द्वारा पट्टेदार को प्रस्तुत किया जाना।

1. निर्धारिती का नाम:
2. पैन:
3. आईएफएससी में स्थित इकाई का नाम और पता:
4. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 23 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन प्राप्त अनुमति की तारीख अथवा भारतीय सुरक्षा और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन अनुमति अथवा रजिस्ट्री अथवा जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 ठक की उपधारा (1क) में उल्लेख किया गया है, कोई भी अन्य संगत नियम:

कथन-सह-घोषणा

मैं.....का पुत्र/पुत्री.....की क्षमता में....., घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त इकाई विमान को पट्टे पर देने के व्यवसाय में नियोजित है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 ठक की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1क) के अधीन कटौती के लिए पात्र है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि हमने पिछले वर्षनिर्धारण वर्ष से संबंधितपिछले वर्ष तकनिर्धारण वर्ष से संबंधित अवधि के लिए उक्त कटौती का दावा करने का विकल्प चुना है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त इकाई आईएफएससी में निरंतर कार्यरत एक इकाई के रूप में निरंतर नियोजित है और उसवर्ष (.....निर्धारण वर्ष से संबंधित) जिसमें यह कथन-सह-घोषणा प्रस्तुत की जा रही है, के दौरान विमान को पट्टे पर देने के व्यवसाय में नियोजित है।

सत्यापन

मैं.....का पुत्र/पुत्रीकी क्षमता में..... यह प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त प्रस्तुत सभी ब्यौरे सही और पूर्ण हैं।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

(ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित जो आयकर अधिनियम की धारा 140 के अनुसार आयकर विवरणी पर हस्ताक्षर के लिए सक्षम हो)

[अधिसूचना सं. 65/2022 /फा. सं. 275/30/2019-आईटी (बी)]

अरविन्द कुमार मिश्र, अवर सचिव